उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

Gvt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या:–3305–अ0प्र0–07 / पा0का0लि0 / 13–05–अ0प्र0–07 / 07 — दिनांक: 16.07.2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं0: 965–पी / राविप–30–4पी / 86, दिनांक: 09. 06.89 सपठित परिषदादेश सं0:1598–पी / राविप–तीस–4पी / 86,दि0 21.08.1989 एंव अन्य संबंधित परिषदादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार अधोनामित प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) जिन्होने कारपोरेशन के आदेश सं0–1060–काविनी एंव वे0प्र0–29 / पा0का0लि0 / 2008–4(6)–20पी / 86(टी0सी0), दिनांक 07.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपने सीधी भर्ती (अवर अभियन्ता) के संवर्ग के तीनों समयबद्ध वेतनमान दिये जाने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया हैं, को कारपोरेशन आदेश सं0:–1363–काविनी एंव वे0प्र0–29 / पाकालि / 2009, दिनांक 08.10.2009 के अनुपालन में अवर अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए कुल मिलाकर 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण होने की तिथि से तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में अधीक्षण अभियन्ता का वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान में) एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है :–

क्र0 स0	सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान संख्या	टिप्पणी
1.	श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी	97053	–

2. श्री द्विवेदी को यह विकल्प होगा कि वे उक्त समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि अथवा उसके बाद की वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी की तिथि से ले सकते हैं। अतः तदानुसार वे अपना विकल्प पत्र दिनांक: 31.08. 2013 तक भर कर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) को प्रस्तुत करेंगे।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या:–3305(1)–अ0प्र0–07 / पाकालि / 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मथुरा बाईपास, आगरा।
2 अधिशासी अभियन्ता (Website), कक्ष सं0: 407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3 उप सचिव (अ0प्र0–02बी) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी (97053) जिन्हें तृतीय समयबद्ध वेतनमान दिनांक: 01.01.2006 से 18.02.2009 की अवधि में देय है, को समयबद्ध वेतनमान का लाभ (अपुनरीक्षित वेतनमान में) उनसे सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही दे एवं उन्हें वर्तमान संवर्ग में यदि कोई समतुल्य समयबद्ध वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया गया हो तो उसे निरस्त मानते हुए तदनुसार पूर्व में अधिक आहरित धनराशि का समायोजन अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।
5 अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0–02बी / गोपन),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बन्धित की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
6 संबधित अधिकारी।
7 कट फाइल / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उपसचिव

D.O.M

262